

Hindi

← Back

रन्दरण खतौनी (अपमाणित पति)



भूलेख - खतौनी
राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश

ग्राम कोड : 124621

फसली वर्ष : 1427-1432 (01 जुलाई, 2019 से
30 जून, 2025)

खाता संख्या : 00240

श्रेणी : 1-क/भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरों के अधिकार में हो।

खातेदार का विवरण	खातेदारी प्रारम्भ होने का विवरण	भूमि का विवरण	खातेदार का अंश
<p>खसरा/ (2) गाटा नाम/पिता-पति- संख्या संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं० (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं० (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)</p>	<p>(3) न्यायालय का नाम (4) वर्ष / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / जोत का आधार</p>	<p>(5) गाटा (यूनीक कोड)</p>	<p>(6) गाटे का कुल क्षेत्रफल(हेतु) (7) हिस्से में (8) क्षेत्रफल में(हेतु) (9) खातेदार द्वारा देय भू- राजस्व</p>

700	1) निहालेन्द्र कुमार राना / अमर सिंह / नि. अरतोनी	1413फ0 700 (124621070000012)	0.5920	11.20
	2) श्रीमती पार्वती देवी पत्नी / सोदान सिंह / नि. बमरौली अहीर			

कुल गाटे : एक

कुल क्षेत्रफल : शून्य दशमलव पांच नौ दो शून्य (हेक्टेयर)

कुल भू-राजस्व : एक एक दशमलव दो शून्य रुपये

नामान्तरण / परिवर्तन का विवरण		खारिज किया गया		दर्ज किया गया		
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / नामान्तरण का आधार / डिजिटल हस्ताक्षर नाम (पदनाम) / डिजिटल हस्ताक्षर दिनांक	नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं० (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं० (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	क्षेत्रफल(हेंट)	नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं० (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं० (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	क्षेत्रफल(हेंट)
1) अन्य / T202401010104888 / 30-09-2024 / विक्रय / ASHOK KUMAR () / 03-11-2024	1.1) निहालेन्द्र कुमार राना/अमर सिंह/नि. अरतोनी (: -)	700 (1246210700000012)	1.1) - 2.1) -	1.1) आगरा विकास प्राधिकरण आगरा / - / -	700 (1246210700000012)	1.1) - 2.1) -
2) अन्य / T202401010104889	2.1) श्रीमती पार्वती देवी पल्ली/सोदान			2.1) आगरा विकास		

/ 30-09-2024 / विक्रय सिंह/नि. बमरौली
 / ASHOK KUMAR () / अहीर (: -)
 03-11-2024

प्राधिकरण
 आगरा / - /
 -

(17) भूमि के सम्बन्ध में विचाराधीन राजस्व वाद की कम्प्यूटरीकृत संख्या

(18) बंधक/बंधक-मुक्त होने की स्थिति

(18.1) बंधक होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक))

(18.2) बंधक-मुक्त होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक-मुक्त का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)) :

अभ्युक्ति :

1) 1431फ कार्यालय सक्षम प्राधिकारी/अपर जिलाधिकारी भूमि अध्याप्ति आगरा मुकदमा नं० 03 ता०फ० 19-02-2022 विज्ञप्ति संख्या का०आ०3870(अ) दि० 02-09-2021 के अनुसार मौजा ककुआ के गाटा संख्या 700 रकवा 0.0012हे० से निहालेन्द्र कुमार राना पुत्र अमर सिंह नि० अरतोनी व श्रीमती पार्वती देवी पत्नी सौदान सिंह नि० बमरौलीअहीर का नाम पृथक करके उसके स्थान पर नवीन इनर रिंग रोड निर्माण हेतु (राष्ट्रपति भारत सरकार वास्ते भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण सडक परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय नई दिल्ली) का नाम दर्ज हो द्वारा परवाना ह०आर०के० (डिजिटल हस्ताक्षर : ASHOK KUMAR (REVENUE INSPECTOR) / 24-06-2024)

पूर्व आदेशों का विवरण :

कृपया उक्त खसरे की प्रस्थिति (भूखंड (गाटा) के वाद ग्रस्त /विक्रय /भू-नक्शा /नामांतरण बही) हेतु खसरा संख्या पर क्लिक करें।

Disclaimer: उक्त ऑँकडे मात्र अवलोकनार्थ हैं, उक्त विवरण अद्यतन है, तहसील कम्प्यूटर केन्द्र एवम सी.एस.सी/लोकवाणी केन्द्र से उद्धरण की प्रमाणित प्रति प्राप्त की जा सकती है।

Above content is for information. The information provided online is updated and no physical visit is required. For Certified copy, apply through e-district portal/CSC/Tehsil Computer Centre.

अपमाणित प्राप्ति



न्यायालय :- तहसीलदार

मण्डल :आगरा , जनपद :आगरा , तहसील :आगरा

कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या:- T2024010104888

वाद संख्या:- 4888/2024

आगरा विकास प्राधिकरण बनाम निहालेन्द्र राना

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 , अन्तर्गत धारा:- 34

" अंतिम आदेश "

आदेश तिथि:- 30/09/2024

न्यायालय तहसीलदार (सदर), आगरा।

वाद सं0 ज2024010104888 /2024 अन्तर्गत धारा 34 आर0सी0

आगरा विकास प्राधिकरण आगरा बनाम निहालेन्द्र कुमार राना

मौजा- ककुआ

तहसील व जिला आगरा

निर्णय

उक्त वाद सब रजिस्ट्रार के आर0सी0 प्रपत्र 13 नियम 35(1) और 35(2) उपरोक्त राजस्व संहिता 2006 की धारा 36(1) के अन्तर्गत सूचना पर इस आशय से प्रेषित हुआ है कि मौजा ककुआ के गाटा संख्या 700 रकवा 0.5908हे0 मे से 1/2 अविभाजित अंश रकवा 0.2954हे0 का बैनामा आगरा विकास प्राधिकरण आगरा ने निहालेन्द्र कुमार राना से कराया है। तदनुसार नामांतरण कर दिया जावे।

वाद पंजीकृत होकर इश्तहार नियमानुसार जारी किया गया। तामील के बाद कोई आपत्ति दाखिल नहीं हुई है। साक्ष्य में विक्रयपत्र, नकल खतौनी पत्रावली पर उपलब्ध है। दाखिल हुई है। मौजा ककुआ के गाटा संख्या 700 रकवा 0.5908हे0 मे से 1/2 अविभाजित अंश रकवा 0.2954हे0 का उक्तानुसार विक्रय किया है। आगरा विकास प्राधिकरण आगरा द्वारा भूमि क्रय की गयी है। अतः धारा-89, 90, 91 व 98, 99 पर टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है। वाद निर्विवाद है। अतः

आदेश

अतः मौजा ककुआ के खाता सं0 240 के गाटा संख्या 700 रकवा 0.5908हे0 मे से 1/2 अविभाजित अंश रकवा 0.2954हे0 लगान 60ख अनुसार से निहालेन्द्र कुमार राना पुत्र श्री अमर सिंह निवासी आनन्द कुंज, सराय बोदला तह0 व जिला आगरा का नाम पृथक करके उसके स्थान पर क्रेता आगरा



विकास प्राधिकरण आगरा का नाम बतौर सं0भू0 द्वारा बैनामा प्रतिफल 24813600/-रु0 आवेदन संख्या-202400766022168 दिनांक 16.04.2024 के दर्ज हो। बाद अमलदरामद पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक:-

तहसीलदार (सदर)

आगरा।

Disclaimer :

उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है, इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायलय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"



न्यायालय :- तहसीलदार

मण्डल :आगरा , जनपद :आगरा , तहसील :आगरा

कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या:- T2024010104889

वाद संख्या:- 4889/2024

आगरा विकास प्राधिकरण बनाम श्रीमती पार्वती देवी उर्फ पार्वती

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 , अन्तर्गत धारा:- 34

" अंतिम आदेश "

आदेश तिथि:- 30/09/2024

न्यायालय तहसीलदार (सदर), आगरा।

वाद सं0 ज2024010104889 /2024 अन्तर्गत धारा 34 आर0सी0

आगरा विकास प्राधिकरण आगरा बनाम श्रीमती पार्वती देवी उर्फ पार्वती

मौजा- ककुआ

तहसील व जिला आगरा

निर्णय

उक्त वाद सब रजिस्ट्रार के आर0सी0 प्रपत्र 13 नियम 35(1) और 35(2) उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 की धारा 36(1) के अन्तर्गत सूचना पर इस आशय से प्रेषित हुआ है कि मौजा ककुआ के गाटा संख्या 700 रकवा 0.5908हे0 मे से 1/2 अविभाजित अंश रकवा 0.2954हे0 का बैनामा आगरा विकास प्राधिकरण आगरा ने निहालेन्द्र कुमार राना से कराया है। तदनुसार नामांतरण कर दिया जावे।

वाद पंजीकृत होकर इश्तहार नियमानुसार जारी किया गया। तामील के बाद कोई आपत्ति दाखिल नहीं हुई है। साक्ष्य में विक्रयपत्र, नकल खतौनी पत्रावली पर उपलब्ध है। दाखिल हुई है। मौजा ककुआ के गाटा संख्या 700 रकवा 0.5908हे0 मे से 1/2 अविभाजित अंश रकवा 0.2954हे0 का उक्तानुसार विक्रय किया है। आगरा विकास प्राधिकरण आगरा द्वारा भूमि क्रय की गयी है। अतः धारा-89, 90, 91 व 98, 99 पर टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है। वाद निर्विवाद है। अतः

आदेश

अतः मौजा ककुआ के खाता सं0 240 के गाटा संख्या 700 रकवा 0.5908हे0 मे से 1/2 अविभाजित अंश रकवा 0.2954हे0 लगान 60ख अनुसार से श्रीमती पार्वती देवी उर्फ पार्वती पत्री श्री सोदान सिंह निवासी बमरौली अहीर तह0 व जिला आगरा का नाम पृथक करके उसके स्थान पर क्रेता आगरा



विकास प्राधिकरण आगरा का नाम बतौर सं0भू० द्वारा बैनामा प्रतिफल 24813600/-रू० आवेदन संख्या-202400766021898 दिनांक 16.04.2024 के दर्ज हो। बाद अमलदरामद पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक:-

तहसीलदार (सदर)

आगरा।

Disclaimer :

उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है, इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायलय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"